मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 610 / 22 / 2015 / आ.प्र. / एक,
प्रति,

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई, 2015

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
आदिम जाति कल्याण विभाग,
मंत्रालय--भोपाल।

विषयः-- छिन्दवाड़ा जिले में निवासरत गोंडेरा अहीर(गोंड गोवारी) जाति समुदाय के लोगों को राजस्व रिकार्ड में त्रुटि से अहीर दर्ज होने की सूक्ष्मता से जांच कर सुधार करने के संबंध में।।

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय पं. रमेश दुबे, विधायक से प्राप्त पत्र क्रमांक 903 / निज सहा. / 2015 दिनांक 16.06.2015 का अवलोकन करें । तद्संबंध में लेख है कि जातियों का विषय आदिम जाति कल्याण विभाग व्दारा सम्पादित किया जाता है। जातियों की सूची में या किसी जाति के संबंध में कोई स्पष्टीकरण जारी करना हो तो वह आदिम जाति अनुसंधान विकास संस्था की रिपोर्ट लेकर आदिम जाति कल्याण विभाग ही जारी कर सकता है। यदि राज्य स्तर पर यह संभव न हो तो प्रक्रिया अनुसार प्रस्ताव भारत सरकार को भेज सकता है। अतः उक्त पत्र मूलतः संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि पत्र में उल्लेखित तथ्यों का परीक्षण कर निर्णय लेने का कष्ट करें।

संलग्न -- उपरोक्तानुसार.

o/c

(आर.के.गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0 क्रमांक 611 / 22 / 2015 / आ.प्र. / एक,
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई,2015

माननीय पं. रमेश दुबे, विधायक,मु0पो0चौरई जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

o/c

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

10/3/16
अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग (आ०प्र०),
मंत्रालय भोपाल,

Letter-I

रमेश दुबे
विधायक : विधान सभा क्षेत्र चौरई 124
सदस्य : विशेषाधिकार समिति म.प्र.विधान सभा
सदस्य : लोक लेखा समिति म.प्र.विधान सभा

कार्यालय/फैक्स : 07186-2226
मोबाईल : 9425147201, 99775
ईमेल : rameshdubey012@gmail.
स्थाई निवास :
भोपाल निवास : विधायक

क्रमांक/903/निज सहा./2015,

चौरई दिनांक 16/06/2015

प्रति,

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी
मुख्यमंत्री,
म.प्र.शासन भोपाल।

विषय :- छिन्दवाडा जिले मे निवासरत गोंडेरा अहीर (गोंड गोवारी) जाति समुदाय के लोगो को राजस्व रिकार्ड मे त्रुटि से अहीर दर्ज होने की सूक्ष्मता से जांच कर सुधार करने के संबंध मे।

---000---

महोदय,

जिला छिन्दवाडा मे गोंड गोवारी जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य है को स्थानीय भाषा मे गोंडेरा अहीर के नाम से भी जाना जाता है। गोंडेरा अहीर वास्तव मे गोंड गोवारी ही है और उनकी रोटी-बेटी का संबंध भी गोंड गोवारी वर्ग के लोगो से है। इनकी खान-पान, रहन-सहन, देवी-देवता, पूजन-पाठ, गोंड गोवारी जाति के समान ही है। इन्हें स्थानीय भाषा में गोंडेरा अहीर पुकारे जाने के कारण राजस्व अभिलेखो मे पटवारियो के द्वारा उनकी जाति गोंड गोवारी न दर्ज करते हुये गोंडेरा अहीर अथवा अहीर दर्ज किया जाने लगा और रोस्टर के समय गोंडेरा के स्थान पर अभिलेखो मे सिर्फ अहीर जाति का उल्लेख रह गया।

गोंडेरा अहीर वर्ग के लोगो को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र छिन्दवाडा जिले मे प्रदाय नही किये जाने के कारण विगत 10 वर्षो मे मैने अनेको बार शासन प्रशासन स्तर पर पत्राचार किया। विधान सभा सदस्य रहने के दौरान विधान सभा प्रश्नो एवं शून्यकाल व ध्यानाकर्षण के माध्यम से शासन प्रशासन का ध्यान भी आकर्षित किया। शासन प्रशासन स्तर से गोंडेरा अहीर के लोगो को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संबंध मे जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारियो को अनेको बार आदेश निर्देश भी प्रसारित किये गये है किंतु अभी भी अधिकारियो के द्वारा उनकी जाति प्रमाण जारी करने मे आनाकानी की जा रही है, अथवा उनके आवेदन निरस्त कर दिये जा रहे है जिसके चलते इस वर्ग के लोगो को शासन की योजनाओ का लाभ नही मिल पा रहा है।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग (आ०प्र०)

पं.रमेश दुबे

विधायक : विधान सभा क्षेत्र चौरई 124
सदस्य : विशेषाधिकार समिति म.प्र.विधान सभा
सदस्य : लोक लेखा समिति म.प्र.विधान सभा

कार्यालय/फेक्स : ...166-222630 निवास-...
मोबाईल : ...425 ...7261, 997751...
ईमेल : rameshdubey012@gmail.com
स्थाई निवास : मु.पो.चौरई जिला छिन्दवाड़ा(म.प्र.) 480115
भोपाल निवास : ...
...रिवारिक खण्ड ...

अनुभाग एवं जिला स्तर पर जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारियो से चर्चा करने पर यह तथ्य निकलकर आया है कि गोंड गोवारी जाति जिन्हें स्थानीय भाषा मे गोंडेरा अहीर नाम से जाना जाता है अथवा पुकारा जाता है, को राजस्व अभिलेखो में गोंड गोवारी के स्थान पर गोंडेरा अहीर अथवा अहीर का उल्लेख होने से जाति प्रमाण पत्र जारी करने मे उन्हें कठिनाई हो रही है।

कुछ उपरोक्त प्रकार के तथ्यो से अवगत कराते हुये ही श्री रामकरण धुर्वे उपाध्यक्ष भाजपा सारना मण्डल छिन्दवाडा जो विगत कई वर्षो से गोंडेरा अहीर वर्ग के लोगो के हित में शासन प्रशासन तथा जनप्रतिनिधि स्तर पर अपनी बात निरंतर रखते आ रहे है, के द्वारा दिनांक 14/06/2015 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित एक ज्ञापन मुझे सौंपा गया है जो मूलतः इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यो पर विचार करते हुये छिन्दवाडा जिले के गोंड गोवारी जाति वर्ग के लोगो को जिन्हें स्थानीय भाषा मे गोंडेरा अहीर भी कहते है, का त्रुटि से राजस्व अभिलेखो में दर्ज किये गये गोंडेरा अहीर अथवा अहीर की सूक्ष्मता से जांच करवाकर राजस्व अभिलेखो मे उनके स्थान पर गोंड गोवारी जाति दर्ज किये जाने का आदेश प्रसारित करने का कष्ट करेंगे, ताकि गोंडेरा अहीर वर्ग के लोगा को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र का लाभ मिल सके।

सादर,

भवदीय

संलग्न :– मूल आवेदन।

(पं.रमेश दुबे)

10/02/16
अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग (आ०प्र०),
मंत्रालय भोपाल,